

प्रेस नोट दिनांक 18.03.2025
थाना कोतवाली जनपद बरेली।

थाना कोतवाली #bareillypolice द्वारा सिकलापुर में हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस 315 बोर व हत्या के दौरान अपने घर की बिजली लाईन काटने में प्रयुक्त उपकरण बरामद।

संक्षिप्त विवरण:-दिनांक 17.03.2025 को मुकदमा वादी रितिक पुत्र हरिशंकर निवासी पुराना रोडवेज सिकलापुर थाना कोतवाली बरेली ने अभियुक्तगणों द्वारा अपने चाचा दयाशंकर की गोली मारकर हत्या कर देने के संबन्ध मु0अ0सं0 121/25 धारा 191(2),191(3),190,103(1),324(4),351(2) बनाम 1. नीरज पुत्र शान्ति प्रसाद निवासी सिकलापुर थाना कोतवाली बरेली 2. अमित पुत्र इन्दर निवासी सिकलापुर थाना कोतवाली बरेली 3. सचिन पुत्र इन्दर निवासी सिकलापुर थाना कोतवाली बरेली 4. वासू पुत्र पुत्र विनोद निवासी पुराने बस स्टैण्ड के सामने मकरन्दपुर सरकार थाना कोतवाली बरेली 5. अप्पू पुत्र हरीश कुमार निवासी पुराने बस स्टैण्ड के सामने मकरन्दपुर सरकार थाना कोतवाली बरेली के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 18.03.2025 को अभियुक्त रितिक पुत्र हरिशंकर निवासी पुराना रोडवेज सिकलापुर थाना कोतवाली बरेली को पुराना रोडवेज सिकलापुर से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशादेही पर अभियुक्त के मकान के नीचे बनी दुकान से आलाकल्ल (हत्या में प्रयुक्त) 01 तमन्चा, 01 कार0 जिन्दा, 02 खोखा कार0 315 बोर, हत्या के दौरान अपने घर की लाईट काटने में प्रयुक्त 01 पेचकस व 01 प्लास बरामद हुए।

पूछताछ विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरे चाचा दयाशंकर का कोई वारिस नहीं होने के कारण अगर मेरे चाचा दयाशंकर जीवित रहते तो अपनी सम्पत्ति किसी को बेचने का मुझे डर था, मैंने अपने चाचा की सम्पत्ति को हडपने व चाचा दयाशंकर द्वारा मेरी पत्नी उर्वशी पर गलत नजर रखने के कारण घर की लाईट काटकर अपने चाचा दयाशंकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा तमंचा, कारतूस, प्लास व पेचकस को अपने घर के नीचे बनी दुकान में छिपा दिया था, इसके पश्चात 1. नीरज पुत्र शान्ति प्रसाद निवासी सिकलापुर थाना कोतवाली बरेली 2. अमित पुत्र इन्दर निवासी सिकलापुर थाना कोतवाली बरेली 3. सचिन पुत्र इन्दर निवासी सिकलापुर थाना कोतवाली बरेली 4. वासू पुत्र पुत्र विनोद निवासी पुराने बस स्टैण्ड के सामने मकरन्दपुर सरकार थाना कोतवाली बरेली 5. अप्पू पुत्र हरीश कुमार निवासी पुराने बस स्टैण्ड के सामने मकरन्दपुर सरकार थाना कोतवाली बरेली के विरुद्ध अपने बचाव में तथा अपने विपक्षियों को फंसाने के लिये मुकदमा लिखा दिया था।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमन्चा 315 बोर
2. 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर
3. 02 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 01 पेचकस व 01 प्लास

गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण -

रितिक उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र हरिशंकर निवासी पुराना रोडवेज बस स्टैण्ड सिकलापुर थाना कोतवाली बरेली

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 121/25 धारा 103(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. श्री अमित पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बरेली
2. नि0अ0 श्री लव सिरोही थाना कोतवाली बरेली
3. उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बरेली
4. उ0नि0 वीरभद्र सिंह थाना कोतवाली बरेली
5. म0उ0नि0 नीतू तोमर थाना कोतवाली बरेली
6. म0उ0नि0 रूची सोलंकी थाना कोतवाली बरेली
7. हे0का0 823 शाहिद अली थाना कोतवाली बरेली
8. का0 1593 त्रिलोक सिंह थाना कोतवाली बरेली
9. का0 448 अखिलेश यादव थाना कोतवाली बरेली
- 10 का0 3832 कपिल तोमर थाना कोतवाली बरेली